रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1987/चैत्र 11, 1909
No. 150] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1987/CHAITRA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1987

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का.आ. 275(अ).—सं. ई(सी)ओ, 1977/ए एम (339).—आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 को और आगे संशोधित करने के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1.(1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 8वां संशोधन आदेश, 1987 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-1, भाग-क में क्रम सं. 17 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः—

"17. मेंढक की टांगें"

हस्ताक्षरित/-

(राजीव मोहन मिश्र)

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

पाद टिप्पणी :—अधिसूचना सं. का.आ.सं. 254(ई.) दिनांक 24-3-1977 द्वारा प्रकाशित मूल आदेश अर्थात् निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 जो भारत के (असाधारण) राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में पृष्ठ 1271 पर प्रकाशित हुआ है।

इसमें अन्तिम संशोधन ई(सी)ओ, 1977/ए एम (338) दिनांक 17-3-87 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र भाग-2, खण्ड 3 उप-खण्ड (2) में प्रकाशित किया गया था।

[फाइल सं. 1/10/87 ई-1]

एच.सी. आजाद, नियंत्रक आयात एवं निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st April, 1987

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 275(E)|No. E(C)O, 1977|AM(339).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. (1) This Order may be called the Exports (Control) Eighth Amendment Order, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I, Part 'A' of the Exports (Control) Order, 1977, for serial number 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"17. Froglegs".

Sd/-

R. L. MISRA, Chief Controller
of Imports & Exports

Footnote :—Principal Order i.e. Exports (Control) Order, 1977, published vide Notification S.O. No. 254(E), dated 24-3-1977, published in Gazette of India, 1977 (Extra-ordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) Page 1271, as amended from time to time.

The last Amendment made vide No. E(C)O, 1977/AM(338) dated 17-3-1987 in Part II, Section 3, Sub-section (ii).

[File No. 1/10/87/E-I]

H. C. AZAD, Controller
of Imports & Exports
For Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987